



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 ज्येष्ठ 1941 (श10)  
(सं0 पटना 679) पटना, शुक्रवार, 7 जून 2019

---

वाणिज्य-करविभाग

अधिसूचना

7 जून 2019

एस० ओ० 218 दिनांक 7 जून 2019—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या 879 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 177 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में और भी निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) के स्थान पर "(ii) श्री सुनील कुमार सिंह, राज्य कर अपर आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना" शब्दों और अंक को रखा जाएगा।

[(सं० बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-20/2017-1670)]

आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

7 जून 2019

एस० ओ० 218 दिनांक 7 जून 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-20/2017-1670)]

आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 7<sup>th</sup> June 2019*

S.O. 218, Dated 7<sup>th</sup> June 2019—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 123 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the notification of the Commercial Taxes Department, S.O. No. 177, dated the 21<sup>st</sup> September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 879, dated the 21<sup>st</sup> September, 2017 (as amended from time to time) is further amended, namely:-

In the said notification, for serial no. (ii), the words and figure "(ii) Shri Sunil Kumar Singh, Additional Commissioner State Tax, Central I.B. Commercial Taxes Department, Bihar, Patna" shall be substituted.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-20/2017 -1670)]

By order,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 679-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>